न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

63/2024

नाराणी देवी निवासी स्कुल के सामने तांतिया इन्दौली तहसील मालपुरा जिला टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 03.12.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक को आनॅलाइन आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1. 2020 से 2024 तक जारी पी एम आवास योजना ग्राम तांतिया के लाभान्वितों की सूची मय आबादी भूमि सत्यापन रिपोर्ट।
2. 2020 से 2024 तक सरपंच व सचिव की मोहर व हस्ताक्षर से जारी दस्तावेज प्रतियां।
3. 2020 से 2024 तक ग्राम सभा की 15 दिन पूर्व दिए जाने वाले नोटिसों की प्रतियॉ।
4. 2020 से 2024 तक ग्राम सभा बैठक रजिस्टर प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 1670 दिनांक 19.11.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 959 दिनांक 27.11.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा आनॅलाईन आवेदन दिनांक 20.09.2024 तत्कालीन अति0 जिला कलेक्टर, टोंक के ऑनलईन पोर्टल पर नहीं किया जाकर पूर्व अति0 जिला कलेक्टर श्री सूरज सिंह नेगी के ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने के कारण इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है। जिसके संबंध में अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 960-961 दिनांक 27.11.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है। आप द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक से संबंधित है, उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाने कि स्थिति में अपीलान्ट उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर (राजस्थान)